स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग–एक

1 (1) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन मे समाविष्ट अनुच्छेदों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई। गत अवधि के पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई। अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाही करके इस विभाग को सूचित किया जाए।

(क) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2001 से 3/2005

1	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–11 (9) (1)	अनिर्णीत	
3	पैरा–11 (9) (2)	अनिर्णीत	
4	पैरा–11 (9) (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11 (9) (4)	अनिर्णीत	
6	पैरा–17 (क)	अनिर्णीत	
7	पैरा–17 (छ)	अनिर्णीत	

(ख) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2005 से 3/2007

1	पैरा–9 (1) (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–9 (1) (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9 (1) (3)	अनिर्णीत	

(ग) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(लेखा परीक्षा शुल्क राशि जमा कर दी गई है)
2	पैरा–4	निर्णीत	(सूचनार्थ)
3	पैरा–5	निर्णीत	(सावधि जमा राशियों को उनकी परिपक्वता तिथियों को पुनः निवेश कर दिया गया है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(₹1100 रसीद संख्या 14272 दिनांक 25.10.2016 द्वारा जमा कर दिये गये है)
5	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–9	निर्णीत	(दण्ड ब्याज ₹350/– की वसूली दिनांक 25.10.16 को कर ली गई है)
11	पैरा–10	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (क)	निर्णीत	(₹94 की वसूली रसीद संख्या 2391 दिनांक 24.10.2013 द्वारा कर ली गई है)
13	पैरा–11 (ख)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
14	पैरा–11 (ग)	निर्णीत	(अनुपालना की समीक्षा उपरान्त)
15	पैरा–12	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण अवधि के दौरान महाविद्यालय में निम्न विवरणानुसार प्राचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0सं0	प्राचार्य का नाम	कार्य की अवधि
1	डा0 जे0एस0 नेगी	1.4.12 से 7.1.13
2	डा0 अनु वर्मा	8.1.13 से 7.6.13
3	डा0 एल0आर0 शर्मा (कार्यकारी)	8.6.13 से 5.7.13
4	श्री जगदीश लाल	6.7.13 से 31.3.16

(3) स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2012 से 3/2016 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सारः—

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (लाखों में)
1	सावधि जमा में निवेशित राशि पर प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	4 (ख)	5.63
2	सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेश न करने के कारण हुई हानि बारे	6	1.28
3	विलम्ब प्रवेश शुल्क की वसूली न करना	8	0.15
4	सरकारी प्राप्तियों को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने बारे	12	4.64
5	मिश्रित निधि से अनुचित व्यय बारे	13	0.83
6	फर्नीचर मुरम्मत निधि से अनुचित व्यय बारे	14	0.33

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

स्वामी विवेकानन्द महाविद्यालय घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2016 तक का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गये हैं, श्री चम्बेल सिंह परमार, सहायक नियन्त्रक (ले0प0) व श्री पुनीत शर्मा (आर्टीकल सहायक) द्वारा दिनांक 24.9.2016 से 26.10.16 तक के दौरान घुमारवीं महाविद्यालय में किया गया। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्न मासों का चयन किया गया।

वर्ष	चयनित माह (आय)	चयनित माह (व्यय)
2012—13	6/2012	12/2012
2013—14	6/2013	9/2013
2014—15	6/2014	9/2014
2015—16	6/2015	9/2015

अंकेक्षण प्रतिवेदन महाविद्यालय द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। अधूरी एवं गलत सूचना प्रस्तुत करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

महाविद्यालय के अवधि 4/2012 से 3/2016 के छात्र निधि का अंकेक्षण शुल्क ₹32000/— बनता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	वर्ष	निधियों से प्राप्त आय	अंकेक्षण शुल्क (₹)
1	2012—13	2974477	8000
2	2013—14	4278874	8000
3	2014—15	5797180	8000
4	2015—16	6298003	8000
		कुल अंकेक्षण शुल्क	**₹32000**

अंकेक्षण शुल्क ₹32000/— को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 98 दिनांक 21.10.2016 द्वारा अनुरोध किया गया तथा महाविद्यालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 118941 दिनांक 21.10.2016 हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक शाखा (कलरी) घुमारवीं के अन्तर्गत उक्त राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः—

स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के छात्र निधि लेखाओं से सम्बन्धित विभिन्न निधियों की अवधि 4/2012 से 3/2016 तक की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है।

(ख) सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज ₹5.63 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करनाः—

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेशित किया गया था लेकिन इन सावधि जमा की राशियों पर प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था तथा सावधि जमा में पुनः निवेशित राशियों के सम्बन्ध में भी रोकड़ बहियों में प्रविष्टियाँ नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप निम्न विवरणानुसार सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज ₹562580/— का वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष में अन्तर पाया गया है।

क्र0 सं0	निधि का नाम	सावधि जमा सं0	निवेशित राशि (₹)	निवेश की तिथि	परिपकवता राशि (₹)	परिपक्वता /पुनः निवेश की तिथि	ब्याज की अर्जित राशि (₹)
1	फर्नीचर रिपेयर	483734	79595	5.4.11	95427	5.3.13	15832
2	अमलगामेटिड निधि	483729	539626	5.4.11	646964	5.3.13	107338
3	रोबर एण्ड रैन्जर	483739	381445	6.4.11	451631	6.3.13	70186
4	बुक रिपलेसमैन्ट	483738	630824	6.4.11	756302	6.3.13	125478
5	कलचरल क्रियाकलाप	483740	127947	6.4.11	153397	6.3.13	25450
6	कैमीस्ट्री निधि	483737	173448	6.4.11	207949	6.3.13	34501
7	भूगोल निधि	483736	249922	5.4.11	299634	5.3.13	49712
8	अनुपस्थिति जुर्माना	483735	679233	6.4.11	798423	6.3.13	119190
9	स्वास्थ्य निधि	11230600415	160000	27.12.14	174893	27.12.15	14893
							562580

माह 9/2016 को उपरोक्त ब्याज की प्राप्त राशियों का लेखा परीक्षा के दौरान रोकड़ बही में लेखांकन कर दिया गया है जिसकी लेखा परीक्षा के दौरान पुष्टि कर ली गई। अतः भविष्य में सावधि जमा में निवेशित राशियो पर उनकी परिपक्वता तिथि को प्राप्त ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 सावधि निवेशः–

महाविद्यालय द्वारा अवधि 4/2012 से 3/2016 तक छात्र निधि लेखों से सावधि जमा योजना में निवेशित राशि का विवरण निम्नलिखित है। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में भी दिया गया है।

क्र0 सं0	निधि का नाम	एफ0डी0आर0सं0	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	ब्याज दर %	परिपक्वता राशि (₹)	परिपक्वता की तिथि
1	रोबर एण्ड रैन्जर	1080148	6.3.13	451631	9%	619140	21.9.16
2	बुक रिपलेसमैन्ट	1080147	6.3.13	756302	9%	1036812	21.9.16
3	जुर्माना निधि	1139777	11.4.14	798423	9%	989718	21.9.16
4	सांस्कृतिक गतिविधि निधि	1080154	6.3.13	153397	9%	209418	21.9.16

5	मिश्रित निधि	1080150	5.3.13	646964	9**%**	887137	21.9.16
6	फर्नीचर मुरम्मत निधि	1080153	5.3.13	95427	9**%**	130853	21.9.16
7	रसायन विज्ञान निधि	1080151	6.3.13	207949	9**%**	285076	21.9.16
8	भूगोल निधि	108052	5.3.13	299634	9**%**	410767	21.9.16
9	स्वास्थ्य /मेडीकल निधि	1318231	27.12.15	174893	7.50**%**	196719	27.7.17
		कुल योग		**₹3584620**			

सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को बैंक से भुनाया/पुनः निवेशित किया जाना सुनिश्चित करें।

6 सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेश न करने के कारण ₹1.28 लाख की सम्भावित हानिः—

लेखा परीक्षा के दौरान सावधि जमा में निवेशित राशियों पर प्राप्त ब्याज की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेशित नहीं किया गया था। लगभग 25 माह के पश्चात इन राशियों को पुनः निवेशित किया गया था पुनः निवेश करने पर इन राशियों पर निम्नानुसार ब्याज दिया गया था।

क्र0सं0	निधि का नाम	सावधि जमा सं0	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	पुनः निवेश की तिथि	पुनः निवेशित राशि	बैंक द्वारा दिया गया ब्याज
1	रोबर एण्ड रैन्जर	300597	6.8.14	512370	21.9.16	602133	89763
2	बुक रिपलेसमैन्ट	300127	6.8.14	858016	21.9.16	1008333	150317
3	अनुपस्थिति जुर्माना	1139777	11.4.15	872743	21.9.16	959072	86329
4	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	300597	6.8.14	174023	21.9.16	204514	30487
5	मिश्रित निधि	300018	5.8.14	733973	21.9.16	862740	128767
6	फर्नीचर रिपेयर	300123	5.8.14	108261	21.9.16	127245	18993
7	कैमिस्ट्री	300119	6.8.14	235916	21.9.16	277246	41330
8	भूगोल निधि	300120	5.8.14	339931	21.9.16	399568	59637
						जोड़	**605623**

सावधि जमा में निवेशित राशियों को यदि उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेशित किया होता तो परिपक्वता तिथि को दये ब्याज दर के अनुसार दिनांक 21.9.2016 तक निम्न विवरणानुसार ब्याज प्राप्त होताः–

क्र0 सं0	**निधि का नाम**	**सावधि जमा सं0**	**समय पर पुनः निवेश पर जिस अवधि का ब्याज प्राप्त किया जाना था**	**राशि**	**ब्याज दर**	**तिमाही चक्रवृद्धि दर से देय ब्याज**
1	रोबर एण्ड रैन्जर	300597	6.8.14 से 21.9.16	512370	9%	106770
2	बुक रिपलेसमैन्ट	300127	6.8.14 से 21.9.16	858016	9%	178796
3	अनुपस्थिति जुर्माना	1139777	11.4.15 से 21.9.16	872743	8.80%	116975
4	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	300597	6.8.14 से 21.9.16	174027	9%	35391
5	मिश्रित निधि	300018	5.8.14 से 21.9.16	733973	9%	153164
6	फर्नीचर रिपेयर	300123	5.8.14 से 21.9.16	108261	9%	22592
7	कैमिस्ट्री	300119	6.8.14 से 21.9.16	235916	9%	49160
8	भूगोल निधि	300120	5.8.14 से 21.9.16	339931	9%	70836
					जोड़	**733684**

सावधि जमा की राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को पुनः निवेशित न करने के कारण महाविद्यालय को ₹128061 (₹733684–₹605623) की सम्भावित हानी हुई है। उपरोक्त मामला लेखा परीक्षा अधियाचना संख्या 88 दिनांक 30.9.16 द्वारा प्राचार्य महाविद्यालय घुमारवीं के ध्यान में लाया गया तथा प्राचार्य द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला बैंक अधिकारियों के साथ उठाया तथा बैंक द्वारा निम्न विवरणानुसार कम जमा ब्याज सम्बन्धित निधियों के बैंक खातों में जमा कर दिया जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई।

क्र0सं0	**निधि का नाम**	**बैंक बचत खाता सं0**	**जमा की तिथि**	**सावधि जमा पर कम जमा ब्याज की जमा राशि**
1	रोबर एण्ड रैन्जर	654	3.10.16	17007
2	बुक रिपलेसमैन्ट	628	3.10.16	28479
3	अनुपस्थिति जुर्माना	639	3.10.16	30646
4	सांस्कृतिक क्रियाकलाप	633	3.10.16	4904
5	मिश्रित निधि	593	3.10.16	24397
6	फर्नीचर रिपेयर	629	3.10.16	3599
7	कैमिस्ट्री	640	3.10.16	7830
8	भूगोल निधि	637	3.10.16	11199
			जोड़	**₹128061**

अतः भविष्य में इस तरह की अनियमितता न दोहराया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा सावधि जमा की राशियों को उनकी परिपक्वता तिथि को भुनाया/पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 उचित वित्तीय प्रबन्धन न होने पर अतिरिक्त ब्याज की ब्याज की आय से वंचित होनाः–

वित्तीय स्थिति के अनुसार अत्याधिक राशियाँ बिना उपयोग के ही बैंक बचत खातों में पड़ी हुई पाई गई जिसमें से एक समुचित भाग जिसकी महाविद्यालय द्वारा सावधि जमा में निवेश किया जा सकता था जिससे निश्चित तौर पर महाविद्यालय को सावधि जमा में बचत खाते से अधिक ब्याज अर्जित हो सकता था। किन्तु विद्यालय द्वारा उचित वित्तीय प्रबन्धन न अपनाये जाने के कारण निधियों से सम्बन्धित अत्याधिक राशियाँ बैंक बचत खातों में ही जमा रखी गई, जिसके कारण ब्याज के रूप में उपरोक्त होने वाली अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा। अतः भविष्य में महाविद्यालय के छात्र निधियों में पडी अनुपयुक्त अतिरिक्त राशियों जिनकी निकट भविष्य में आवश्यकता नहीं है, में से एक समुचित भाग को सावधि जमा लेखों में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि महाविद्यालय को ब्याज के रूप में अतिरिक्त प्राप्ति सुनिश्चित हो सके जिसका उपयोग छात्रो के कल्याणार्थ किया जा सकता है।

8 विलम्ब प्रवेश शुल्क के रूप में ₹0.15 लाख की वसूली न करनाः–

महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2012–13 से 2015–16 के प्रविवरणों (Prospectus) में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 11 जून से 20 जून तक विद्यार्थियों का प्रवेश शुल्क बिना विलम्ब शुल्क के साथ एवं 21 जून से 30 जून तक प्रवेश विलम्ब शुल्क ₹10 प्रति विद्यार्थी/प्रति दिन की दर से वसूल करके दिया जाना अपेक्षित था, जबकि **परिशिष्ट (ग)** में वर्णित रसीदों की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 से 2015–16 में विद्यार्थियों को उक्त अवधि के पश्चात भी प्रवेश बिना विलम्ब शुल्क वसूल करके दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त अवधि में संस्थान को ₹15230/– की हानि हुई। अतः संस्था द्वारा अविलम्ब शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते/सरकारी कोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 **₹700/– को निधि संग्रह रजिस्टर में कम दर्ज करने बारेः–**

स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के अवधि 4/2012 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान आय से सम्बन्धित रसीदों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित रसीदों द्वारा छात्रों से वसूल की गई शुल्क की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में कम दर्ज किया है। छात्रों से वसूल की गई शुल्क की राशि को निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	दिनांक	रसीद नं0	नाम	कक्षा	रसीद राशि	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि	कम दर्ज राशि
1	20.6.15	6761	अनिता कुमारी	B.A. Sem3	1189	1179	10
2	27.6.15	7838	किरण	B.A. Sem (I)	1754	1454	300
3	30.6.15	8134	अविनाश कुमार	B.Com Sem3	1784	1599	185
4	30.6.15	8138	रोहित चन्देंल	B.SC.Sem3	2024	1839	185
5	22.12.15	9904	विशाल सिंह	B.A. Sem3	725	705	20
						कुल योग	**₹700**

10 **देरी से वापिस की पुस्तकों के लिए जुर्माने के रूप में ₹465 की कम वसूली बारेः–**

महाविद्यालय के पुस्तकालय से विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए पुस्तकें जारी की गई थी। महाविद्यालय के प्रविवरण (Prospectus) में दिये गये प्रावधानानुसार पुस्तकों को 30 दिन के पश्चात वापिस न करने पर छात्रों से ₹1/–प्रतिदिन/प्रति पुस्तक जुर्माने के रूप में वसूली की जानी अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि अधिकतम मामलों में देरी से पुस्तकों को वापिस करने पर देरी शुल्क की वसूली नहीं की गई थी, बारे स्थिति स्पष्ट की जाए **(परिशिष्ट "घ")** अन्यथा ₹465 राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके राशि अनुपस्थित जुर्माना निधि में जमा की जाये।

11 **गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले छात्रों से जुर्माने के रूप में ₹870/– की वसूली न करनाः–**

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या EDN&A&KHA (8) 1/2001 दिनांक 1.6.2010 व शिक्षा निदेशालय (उच्च) के पत्र संख्या EDN-H(21)A(30)20/2010-V दिनांक 3.6.2012 के अनुसार प्रत्येक ऐसा विद्यार्थी जो गृह परीक्षा में अनपुस्थित रहा हो, से ₹10 प्रति

पेपर प्रति छात्र वसूल करने अपेक्षित है। लेखा परीक्षा जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** में दिये गये कुछ प्रकरणों में महाविद्यालय द्वारा गृह परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों से जुर्माने के रूप में ₹870/–वसूल नहीं किए गए थे। अतः जुर्माने की राशि को वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹870/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अन्य मामलों में वर्ष 2012–13 से 2015–16 के दौरान गृह परीक्षा में अनपुस्थित छात्रों से जुर्माना शुल्क की प्राप्ति योग्य राशि की संस्था स्त्तर पर गणना करके उचित कार्यवाही की जाए।

12 शुल्क राशि ₹4.64 लाख को देरी से सरकारी कोष में जमा करने बारेः–

शुल्क राशियों को प्राप्तियों के तुरन्त बाद/प्राप्ति के अगले कार्य दिवस को सरकारी कोष में जमा किया जाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान जाँच में पाया गया कि सरकारी प्राप्तियों ₹464925/– को प्राप्ति के पश्चात सरकारी कोष में देरी से जमा किया गया है। इस राशि का पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्राप्त राशियों को समय पर सरकारी कोष में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में सरकारी प्राप्तियों को नियमानुसार समय पर सरकारी कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किसी भी प्रकार के अस्थाई दुर्विनियोजन को नकारा जा सके।

13 समिश्रित निधि से अनुचित व्यय ₹0.83 लाख व्ययः–

लेखा परीक्षा के दौरान समिश्रित निधि से किए गये व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि निधि से महाविद्यालय के बिजली बिलों का भुगतान किया गया था। यह व्यय निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इस राशि की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि निधि में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए। समिश्रित निधि से महाविद्यालय के बिजली बिलों के भुगतान का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	मी0/खाता सं0	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि
1	के0एल0डी0 IV^1	18.3.15	5495
2	के0एल0डी0 III^9	18.3.15	194
3	के0एल0डी0 III^9	24.4.15	147
4	के0एल0डी0 IV	24.4.15	8423
5	के0एल0डी0 III^5	24.4.15	1584
6	के0एल0डी0 III^4	23.5.15	20601
7	के0एल0आई0 III^5	23.5.15	2277
8	के0एल0डी0 III^9	23.5.15	100
9	के0एल0डी0 IV	23.5.15	6882
10	के0एल0डी0 III^9	24.6.15	100

11	के0एल0डी0 IV	24.6.15	1877
12	के0एल0डी0 III^6	16.7.15	6662
13	के0एल0डी0 III^9	23.7.15	100
14	के0एल0डी0 III^5	23.7.15	3229
15	के0एल0डी0 III^5	22.8.15	1504
16	के0एल0डी0 III^9	22.8.15	100
17	के0एल0डी0 6	14.9.15	1178
18	के0एल0डी0 3	14.9.15	1044
19	के0एल0डी0 III^9	21.9.15	1540
20	के0एल0डी0 III^5	21.9.15	673
21	के0एल0डी0 III^9	19.10.15	100
22	के0एल0डी0 III^5	19.10.15	120
23	के0एल0डी0 III^5	21.11.15	120
24	के0एल0डी0 III^9	21.11.15	617
25	के0एल0डी0 III^9	21.12.15	382
26	के0एल0डी0 III^5	21.12.15	120
27	के0एल0डी0 6	2.12.15	5895
28	के0एल0डी0 3	2.12.15	9425
29	के0एल0डी0 9	27.1.16	100
30	के0एल0डी0 9	19.2.16	102
31	के0एल0डी0 6	19.3.16	5895
		कुल राशि	**₹82586**

14 फर्नीचर रिपेयर एण्ड रिपलेसमैन्ट निधिः–

फर्नीचर रिपेयर एण्ड रिपलेसमैन्ट निधि से किये गये व्यय की जाँच करने पर निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) ₹33300/– का अनुचित व्ययः–

मै0 अच्छर सिंह रिपेयर सौंप घुमारवीं से बिला संख्या 1 दिनांक 23.9.14 के विरूद्ध निम्नानुसार कार्य करवाया गया था।

क्र0सं0	**कार्य का विवरण**	**मात्रा**	**दर**	**राशि**
1	कैनिंग आफिस चेयर	138	150 प्रति	20700
2	आफिस चेयर बैंक कैनिंग	126	100 प्रति	12600
			कुल	**33300**

उपरोक्त कार्य हेतु अग्रिम भुगतान ₹10000/– माह 7/2014 में तथा शेष भुगतान ₹23300/– माह 10/2014 में किया गया था।

उपरोक्त विवरणानुसार फर्नीचर रिपेयर निधि से कार्यालय की कुर्सियों की कैनिंग/रिपेयर पर ₹33300/– का व्यय किया गया था। कार्यालय की कुर्सियों की कैनिंग/रिपेयर पर छात्र निधि से किया गया व्यय निधि पर उचित प्रभार प्रभार नहीं है।

कार्यालय कुर्सियों की रिपेयर पर छात्र निधि से व्यय करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अनियमित रूप से किए गये व्यय ₹33300/– की उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति करके राशि निधि में जमा करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 लाईब्रेरी प्रतिभूति निधिः–

(क) विद्यार्थियों से प्राप्त लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि उन्हें वापिस न करनाः–

लेखा परीक्षा अवधि 4/2012 से 3/2016 के दौरान किसी भी विद्यार्थी को लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि वापिस नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार विद्यार्थियों से प्राप्त लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि को महाविद्यालय छोड़ने पर उन्हें वापिस किया जाना अपेक्षित था। लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि विद्यार्थियों को वापिस न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाए कि विद्यार्थी अपनी लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि महाविद्यालय छोड़ने पर वापिस प्राप्त कर सके।

(ख) निष्क्रय लाईब्रेरी प्रतिभूति की राशि को निष्क्रय लाईब्रेरी प्रतिभूति खाते में जमा न करनाः–

लाईब्रेरी प्रतिभूति की जमा राशि को यदि महाविद्यालय छोड़ने पर विद्यार्थी दो वर्ष के भीतर वापिस नहीं प्राप्त करते है तो लाईब्रेरी प्रतिभूति खाते में जमा राशि को दो वर्ष के पश्चात राशि को निष्क्रय घोषित करके निष्क्रय लाईब्रेरी प्रतिभूति खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 वास्तविक भुगतान की रसीदें प्रस्तुत न करने बारेः–

चयनित मासों के व्ययों की जाँच के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट "घ"** अनुसार महाविद्यालय द्वारा विभिन्न निधियों से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को भुगतान किए गए थे, लेकिन भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीदें अंकेक्षण के दौरान आवश्यक जाँच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण भुगतान की गई राशि की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इन रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अपेक्षित रसीदें प्राप्त करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए एवं भविष्य में भुगतान की वास्तविक रसीदें यथासमय पर प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

17 छात्र निधियों से दिए गए अग्रिमों के समायोजन बारेः–

अग्रिम रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि छात्र निधियों से **परिशिष्ट "ज"** के अनुसार विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया था अग्रिमों का समायोजन कार्य समाप्ति के तुरन्त बाद किया जाना अपेक्षित है। लेकिन इन अग्रिमों का समायोजन दिनांक

31.3.2016 तक नहीं किया गया है। अतः शीघ्र इन अग्रिमों का समायोजन करने के साथ–साथ भविष्य में अग्रिम राशियों का समायोजन समय पर करना सुनिश्चित किया जाए।

18 सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा राशियों के जमा का सत्यापन/मिलान न करने बारेः–

स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के अवधि 4/2012 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान सरकारी कोष में चालान द्वारा राशियों की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा सरकारी कोष में चालान के माध्यम से जमा राशियों के जमा के सत्यापन हेतु सरकारी कोष के साथ मिलान नहीं किया गया था। अतः अवधि 1.4.2012 से 31.3.2016 तक सरकारी कोष में जमा राशियों का सरकारी कोष के साथ मिलान किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि समस्त राशियाँ सरकारी कोष में जमा हो गई है। कृत कार्यवाही करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाएं।

19 महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर का अनुरक्षण न करने बारेः–

स्वामी विवेकानन्द राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं के अवधि 4/2012 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा माँग व वसूली रजिस्टर तैयार नहीं किया गया जिसके अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र के दौरान देय फीस व निधि राशि की वसूली कर ली गई है अथव नहीं? अतः उपरोक्त अभिलेख का अनुरक्षण करके इसे आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र से शैक्षणिक सत्र की देय फीस व निधि राशि की पूर्ण वसूली सत्र की समाप्ति कर ली गई है।

20 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय में निधियों के स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना नहीं की गई है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में पड़े सामान की प्रत्यक्ष सत्यापना करवाई जानी अपेक्षित है। अतः नियमों की अवहेलना करके प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व अविलम्ब प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

21 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 निष्कर्षः— लेखाओं के रख–रखाव में उचित सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15) XI(XII) 108/02—खण्ड—2—1677—1678 दिनाँकः 21.03.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाही करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजे।

2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला—171001

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.